राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

निर्णय

1.एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1831/ 2003
श्रीमती विमल कंवर एवं अन्य बनाम किशोर दान एवं अन्य
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2071/ 2003
यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम श्रीमती विमल कंवर एवं अन्य

उपरोक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 173 मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एवं राजस्थान राज्य सहकारी न्यायाधिकरण, जयपुर के मोटर दुर्घटना वाद संख्या-514/96 में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2003 के विरूद्ध.

निर्णय दिनांक : 29 **जुलाई**,2011

: **उपस्थित** :

माननीय न्यायाधिपति श्री एस एस कोठारी

श्री अशोक मेहता , वरिष्ठ अधिवक्ता- मय
श्री विनित मेहता, अधिवक्ता- बीमा कम्पनी की ओर से
श्री रामसिंह राठौड़, अधिवक्ता श्रीमती विमलकंवर एवं अन्य की ओर से

--

न्यायालय द्वारा

1. दिनांक 14.9.96 को घटित वाहन दुर्घटना में सज्जन सिंह शेखावत नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी पत्नी, पुत्र तथा माता की ओर से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर में प्रतिकर प्राप्ति हेतु प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या-516/97 का निर्णय उक्त न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.06.2003 से किया गया इससे व्यथित होकर एक ओर तो मृतक सज्जन सिंह के विधिक प्रतिनिधियों अपीलार्थीगण की ओर से एकलपीठ सिविल

विविध अपील संख्या-1831/2003 तथा दूसरी ओर इसी आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या-3 बीमा कम्पनी की ओर से एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2071/2003 प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों ही अपीलों का इस आदेश के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षिप्त तथ्य एवं पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि दिनांक 14.9.96 को दोपहर 3.00 बजे के लगभग सज्जन सिंह चूरू में पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर सड़क के किनारे अपने स्कूटर को रोककर कनिष्ठ अभियन्ता हरिबाबू तथा एक अन्य व्यक्ति को बुलाकर उनका इन्तजार कर रहा था। इसी समय रेलवे स्टेशन की तरफ से जीप संख्या आर जे 10 सी-0833 को इसका चालक किशोरदान तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाते हुए लाया और सड़क के किनारे खड़े हुए सज्जन सिंह के टक्कर मारी। इससे सज्जन सिंह स्कूटर सहित जीप के नीचे आकर स्कूटर सहित घिसटते हुए आगे चला गया। दुर्घटना में आयी घातक चोटों के फलस्वरूप अस्पताल पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गयी। दुर्घटना में हुई सज्जन सिंह की मृत्यु के कारण उसके विधिक प्रतिनिधि -पत्नी श्रीमती विमल कवंर आयु 24 वर्ष, पुत्री कु.कृतिका आयु दो वर्ष तथा माता श्रीमती कोमल कंवर आयु 55 वर्ष की ओर से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर (जिसे आगे केवल न्यायाधिकरण लिखा जायेगा) में सज्जनसिंह की मृत्यु के कारण क्षतिपूर्ति /प्रतिकर प्राप्ति हेतु क्लेम प्रार्थना पत्र उक्त जीप चालक, स्वामी एवं बीमाकर्ता- बीमा कम्पनी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो क्रमांक 514/97 पर दर्ज हुआ। जीप चालक एवं स्वामी ने अपनी गलती से दुर्घटना होने के तथ्य से इन्कार कर अंकित किया कि स्कूटर चालक ने स्वयं सामने से आकर जीप के टक्कर मारी । बीमा कम्पनी की ओर से भी कतिपय आपत्तियां लेते हुए उत्तर प्रस्तुत किया गया।

3. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा

पांच विवाधक विरचित किये गये। प्रार्थीगण की ओर से तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया जिनमें ए.डब्ल्यू.1 सुरेन्द्रसिंह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, ए.डब्ल्यू.2 रामावतार पारीक मृतक के कार्यालय में कार्य करने वाला लिपिक तथा ए.डब्ल्यू.3 मृतक की पत्नी श्रीमती विमल कंवर है। प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श-1 लगायत 15 प्रदर्शित करायी गयी। अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। न्यायाधिकरण ने प्रस्तुत हुई समस्त साक्ष्य का विवेचन करते हुए सभी विवाधकों पर पृथक पृथक विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नगत जीप ने अत्यन्त तेज गति में आकर सड़क के बिलकुल किनारे पर खड़े स्कूटर चालक के टक्कर मारी जिससे स्कूटर 14 फीट तक घिसटता हुआ चला गया और स्कूटर जीप के अगले दोनों टायरों के बीच में फंस गया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह भी पाया गया कि स्कूटर कच्चे में खड़ा हुआ था जिस पर सज्जन सिंह बैठा हुआ था। नक्शे मौके के अनुसार दुर्घटना स्थल वाली सड़क 35 फीट चौड़ी थी। प्रश्नगत जीप सड़क के दक्षिण की तरफ से चलकर आयी । स्कूटर बिलकुल सड़क के किनारे खड़ा हुआ था और स्कूटर के आगे का भाग टायर सहित जीप के आगे के हिस्से के नीचे दोनों टायरों के बीच फंसा हुआ है आदि आदि। इस प्रकार सुसंगत साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्घटना प्रश्नगत जीप के चालक की गलती एवं उपेक्षा के फलस्वरूप घटित हुई। क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण में प्रस्तुत हुई साक्ष्य का विवेचन कर प्रार्थीगण को मृतक की आय से वंचित होने के निमित्त 14,78,700/- रूपये तथा मृतक के सहयोग, लाड-प्यार व सेवा संरक्षण , अन्तिम संस्कार एवं सम्पदा हानि आदि सभी को मिलाकर इन मदों में 15 हजार रूपये दिलाये । इस प्रकार कुल 14,93,700/-रूपये की राशि क्षतिपूर्तिस्वरूप दिलायी गयी। इस पर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज नियत कर राशि के वितरण के सम्बन्ध में आदेश पारित किया।

4. उक्त निर्णय/पंचाट दिनांक 21.6.2003 के विरूद्ध प्रार्थीगण

दावेदार तथा अप्रार्थीगण जीप की बीमा कम्पनी की ओर से पृथक पृथक उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि दुर्घटना के समय मृतक का जो वेतन था, उसे न्यायाधिकरण ने सही प्रकार से आंकलित नहीं किया है। आंकलित किये गये वेतन में से भी गलत रूप से राज्य बीमा एवं जी पी एफ की राशि की कटौती कर ली गयी है। दुर्घटना के समय मृतक की आयु केवल 28 वर्ष थी और वह इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 1994 में पी. डब्ल्यू.डी. में सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त हुआ था। इसे दुर्घटना के समय 9 हजार रूपये मासिक वेतन मिलता था और इसकी युवा आयु तथा शेष रही सेवा को देखते हुए इसके वेतन में समय समय पर पर्याप्त वृद्धि होती। पदोन्नति आदि के कारण यह मुख्य अभियन्ता के पद तक पहुंचता किन्तु भविष्य की इन उज्जवल सम्भावनाओं को क्षतिपूर्ति की राशि दिलाते समय विचार में नहीं लिया गया। मोटर यान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में दी गयी सारणी के अनुसार निर्धारित आय में 18 का गुणक नहीं देकर त्रुटिपूर्ण रूप से केवलमात्र 15 का ही गुणक दिया गया है। अपीलार्थीगण को मृतक के प्यार एवं स्नेह से वंचित होने के निमित्त तथा अन्य मदों में भी अत्यन्त कम राशि दिलायी है। प्रार्थी विमल कंवर मृतक की पत्नी है और इनके यहां प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार इसका दूसरा विवाह होना सम्भव नहीं है किन्तु इसके सम्पूर्ण वैधव्य जीवन के तथ्य को विचार में नहीं लिया गया है । मृतक की पुत्री कृतिका दुर्घटना के समय मात्र दो वर्ष की थी और मृतक की माता श्रीमती कोमलकंवर की आयु 55 वर्ष थी। इनकी मृतक पर पूर्ण निर्भरता को ध्यान में रखते हुए समुचित क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दिलायी गयी है। अन्य मदों में भी प्रतिकर राशि का उचित प्रकार से निर्धारण नहीं किया गया है। इन सबको विचार में ले क्षतिपूर्ति की राशि में समुचित वृद्धि की जाये।

6. इसके विरोध में बीमा कम्पनी की ओर से भी न्यायाधिकरण

द्वारा दिलायी गयी अवार्ड राशि को अधिक बताते हुए अपील प्रस्तुत की गयी है। विद्वान् अधिवक्ता बीमा कम्पनी का तर्क है कि अपीलार्थीगण अपने क्लेम आवेदन में दुर्घटना के समय मृतक की आय केवलमात्र 6656/- रूपये मासिक बताते हुए आये हैं। ए.डब्ल्यू.2 रामावतार ने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसके अनुसार मृतक की आय दुर्घटना के समय 8 हजार रूपये मासिक थी जब कि न्यायालय में बयान देते हुए इसने मृतक की आय 8920/- रूपये बतायी है। न्यायाधिकरण ने यह आय 8215/- मासिक निर्धारित की है जो त्रुटिपूर्ण है। मृतक की आय के सम्बन्ध में आयी भिन्नतापूर्ण साक्ष्य को न्यायाधिकरण ने विचार में नहीं लिया है । प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार मृतक की आय क्लेम आवेदन में लिखे अनुसार 6656/- रूपये मासिक ही माने जाने योग्य है। न्यायाधिकरण ने गलत रूप से मासिक आय निर्धारित कर इसमें भविष्य की सम्भावनाओं को विचार में लेते हुए 4500/- रूपये की और वृद्धि की है जो पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। न्यायालय ने आय में जो 15 का गुणक का मापदण्ड निर्धारित किया है, उसमें भविष्य की सम्भावनाओं की वृद्धि सम्मिलित है । इस भांति न्यायाधिकरण ने त्रुटिपूर्ण रूप से मृतक की मासिक आय दुर्घटना के समय 11,500/-मानकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया है। इस आय में से देय आयकर को कम नहीं किया है। साथ ही क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु यूनिट पद्धति को लागू किया है किन्तु मृतक जीवित रहने पर स्वयं पर व्यक्तिगत रूप से जेब खर्च आदि के निमित्त जो राशि व्यय करता , उस राशि को कम नहीं किया गया है। यूनिट पद्धति के अनुसार गणना कर सही प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन नहीं किया गया है। अत: न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड को अपास्त किया जाये या दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि को यथोचित रूप से कम किया जाये।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान् अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 21.06.2003 , न्यायाधिकरण की पत्रावली एवं अभिलेख पर प्रस्तुत समस्त सामग्री

का अवलोकन किया।

8. इस सम्बन्ध में कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है कि दुर्घटना जीप चालक की तेजी एवं गफलत के फलस्वरूप घटित हुई है जिससे खड़े स्कूटर पर बैठे सज्जन सिंह की मृत्यु हुई। अभिलेख पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करने पर भी यही स्थिति स्पष्ट रूप से समक्ष आती है कि सज्जन सिंह अपने स्कूटर को रोककर कच्चे में खड़ा कर उस पर बैठा हुआ था और जीप चालक ने अपनी जीप को बहुत तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाते हुए इसके स्कूटर के टक्कर मारी। स्कूटर 14 फीट दूर तक घसीटता हुआ आगे चला गया। सड़क 35 फीट चौड़ी होने के बावजूद भी जीप सड़क के दक्षिण की ओर से चलकर गई जहां सज्जन सिंह का स्कूटर संख्या 8767 खड़ा हुआ था । घटनास्थल की जो स्थिति नक्शे मौके में दर्शित है और साक्षियों के बयानों से समक्ष आयी है, उससे स्पष्ट रूप से दुर्घटना जीप चालक की गलती के फलस्वरूप होना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण का एतदसम्बन्धी निष्कर्ष पूर्णत: उचित है।

9. अब हमें यह देखना है कि क्या सज्जन सिंह की मृत्यु के कारण जो क्षतिपूर्ति की राशि न्यायाधिकरण द्वारा दिलायी गयी है, वह दावेदारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में कम है या बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अधिक है।

10. अविवादित रूप से दुर्घटना के समय सज्जन सिंह सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत था। फरवरी,1994 में इसकी नियुक्ति उक्त पद पर हुई थी और इसके लगभग ढ़ाई साल बाद दिनांक 14.9.96 को यह दुर्घटना घटित हुई है। सज्जन सिंह की जन्म तिथि दिनांक 1.2.68 है अर्थात दुर्घटना के समय इसकी आयु 28 वर्ष दो माह से कुछ अधिक थी। अपीलार्थीगण की ओर से इसकी मृत्यु के कारण जो क्लेम प्रार्थना पत्र न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया गया है, उसके पैरा संख्या-6 में

दुर्घटना के समय मृतक का मासिक वेतन 6656/- रूपये अंकित किया गया है। न्यायाधिकरण में मृतक के विभाग का वरिष्ठ लिपिक ए.डब्ल्यू.2 रामावतार पारीक पेश हुआ है जिसने व्यक्त किया है कि मृतक सज्जनसिंह को नये वेतनमान के अनुसार 8920/- रूपये मासिक वेतन मिलता था। इस सम्बन्ध में मृतक की सेवा पुस्तिका प्रदर्श-1 प्रस्तुत की गयी है। इसके अनुसार पूर्व में सज्जन सिंह को कुल मिलाकर 7103/- रूपये मासिक वेतन मिलता था। दिनांक 1.9.96 से अर्थात दुर्घटना के 14 दिन पूर्व ही पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार उसका वेतन 8000/- रूपये मासिक पर निर्धारित हुआ। इस प्रदर्श-1 सेवा पुस्तिका के साथ सज्जन सिंह की मृत्यु के उपरान्त जारी रिवाइज्ड एल पी सी संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि दिनांक 14.9.96 तक उसे 8920/- रूपये मासिक की दर से भुगतान किया गया है। इस गत भुगतान प्रमाण पत्र में मृतक के वेतन में से की जाने वाली कटौती का कोई उल्लेख नहीं है। । फार्म नं.16 या आयकर विभाग का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह विदित हो सके कि इसके वेतन में से आयकर के रूप में कितनी कटौती की गयी थी। मृतक की पत्नी विमल कंवर ने न्यायालय बयान में अपने पति का वेतन 9000/- रूपये मासिक बताया है। इस प्रकार विद्वान् अधिवक्ता बीमा कम्पनी का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है कि मृतक के वेतन के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार की साक्ष्य आयी है किन्तु यदि हम रिवाइज्ड एल पी सी के अनुसार दुर्घटना के समय मृतक का वेतन 8920/- रूपये मासिक या 107401/- रूपये वार्षिक मानें तो इस पर जो आयकर देय होता है, वह राशि प्रथम इसमें से कम किये जाने योग्य है। ऐसा मार्गदर्शन हमें माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन 2009(2) टी ए सी 677 (एस.सी.) से भी प्राप्त होता है जिसके पैरा संख्या-11 में इस सम्बन्ध में स्पष्टत: प्रतिपादित है कि जहां मृतक की वार्षिक आय कर योग्य श्रेणी में आती है, वहां वेतन में से अदा किये जाने वाले टेक्स की राशि कम की जानी चाहिए।

11. वर्ष 1996 में प्रचलित टेक्स की दर के अनुसार यदि गणना की जाये तो समक्ष आता है कि कर निर्धारण वर्ष 1996-97 में 40 हजार रूपये की आय पर कोई कर नहीं लगता था। इसके आगे 20 हजार रूपये की आय पर 20 प्रतिशत और इसके आगे 60 हजार रूपये की आय पर आय पर 30 प्रतिशत कर लगता था। वेतन का 1/3 या 15 हजार रूपये जो भी कम हो, वह स्टेण्डर्ड डिडक्शन के रूप में था । इसके अनुसार मृतक के वेतन में से 15 हजार रूपये स्टेण्डर्ड डिडक्शन के रूप में कम करने पर उसके द्वारा की जाने वाली बचत को भी अनुमानित कर धारा 80 सी सी आयकर अधिनियम के अनुसार 12 हजार रूपये की राशि का रिबेट देने पर जो राशि शेष रहती है, उस पर 5812/-रूपये की राशि कर के रूप में देय होती थी। इस प्रकार अपीलार्थी के वार्षिक वेतन में से उक्त कर योग्य राशि घटाने पर यह आय 1,01,228/- रूपये होती है। स्वयं अपीलार्थी विमल कंवर के बयान में आया है कि उसके पति की मृत्यु के उपरान्त उसे प्रतिमाह 1460/- रूपये पेंशन मिलती है । पति की मृत्यु पर मिलने वाली पेंशन राशि कम किये जाने योग्य है। इस प्रकार यह वार्षिक पेंशन राशि 17520/- रूपये कम करने पर यह राशि 83,708/-रूपये वार्षिक होती है। उक्त सरला वर्मा वाले विनिर्णय के अनुसार मृतक की इस आय में भविष्य की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रख 50 प्रतिशत की वृद्धि करने पर यह राशि 1,25,562/- रूपये होती है। इसमें से 1/3 भाग मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च किये जाने के निमित्त निकाले जाने के उपरान्त मृतक की आयु के अनुसार इसमें 17 का गुणक दिये जाने पर यह राशि 14,23,036/- रूपये होती है। न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की आय से वंचित होने के निमित्त प्रार्थीगण को 14,78,700/- रूपये की राशि दिलायी गयी है।

12. यह सही है कि न्यायाधिकरण ने मृतक के वेतन के सम्बन्ध में रिवाइज्ड एल पी सी के अभिलेख पर होने तथा इसके अनुसार उसका वेतन 8920/- रूपये होने के बावजूद मृतक का वेतन 8000/- रूपये ही माना है। इसमें से भी जी पी एफ एवं राज्य

बीमा की कटौती के निमित्त एक हजार रूपये की राशि कम कर मृतक का वेतन सात हजार रूपये मासिक निर्धारित किया है। इसके उपरान्त भविष्य में होने वाली आय में वृद्धि आदि को विचार में लेते हुए इसमें 4500/- रूपये की राशि को जोड़कर मृतक की आय 11,500/- रूपये आंकलित की है। यह निर्धारण अभिलेख पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य एवं सुस्थापित विधि के प्रकाश में उचित प्रतीत नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति दिलाने का आधार यूनिट संख्या को बनाया है किन्तु ऐसा करते समय मृतक द्वारा स्वयं के व्यक्तिगत जेब खर्च आदि के निमित्त जो राशि माननीय उच्चतम न्यायालय के सरला वर्मा वाले विधि दृष्टान्त एवं अन्य विनिर्णयों में प्रतिपादित किये अनुसार घटाये जाने योग्य है, को कम नहीं किया है जिससे भी अपीलार्थीगण की मृतक पर निर्भरता राशि का सही आंकलन नहीं हो सका है। इसके उपरान्त न्यायाधिकरण द्वारा जो 15 का गुणक दिया गया है, वह भी विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण ने उक्त प्रकार राशि का आंकलन कर इसमें से मृतक द्वारा देय आयकर एवं मृतक की मृत्यु के फलस्वरूप अपीलार्थी श्रीमती विमल कंवर को मिलने वाली पेंशन राशि को कम नहीं किया है। जी पी एफ एवं राज्य बीमा की जो कटौती होती है, वह कम किये जाने योग्य नहीं है जब कि इस आय पर देय आयकर एवं मृतक की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन राशि कम की जानी चाहिए थी। इस प्रकार न्यायाधिकरण द्वारा प्रार्थीगण की मृतक पर निर्भरता राशि का निर्धारण करते समय जी पी एफ एवं राज्य बीमा के निमित्त जमा कराई जाने वाली जो राशि कम की गयी है, 4500/- रूपये मासिक की आय में जो वृद्धि जोड़ी गयी है एवं जो 15 का गुणक दिया गया है आदि आदि, वह सब विधिसम्मत नहीं है। किन्तु इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि मृतक की आय दुर्घटना के समय 8920/- रूपये मानकर इस पर देय आयकर तथा मृतक की पत्नी को मिलने वाली पेंशन राशि कम कर उक्त प्रकार जो गणना हमारे द्वारा की गयी है, उसके अनुसार आय की हानि के मद में

अपीलार्थीगण को दिलाई जाने वाली राशि 14,23,036/- रूपये होती है। यह समक्ष आता है कि न्यायाधिकरण द्वारा आय की हानि के निमित्त 14,78,700/- रूपये के अतिरिक्त अपीलार्थीगण को अन्य सभी मदों में मिलाकर केवल मात्र 15000/- रूपये की राशि दिलायी गयी है, जो निश्चित ही अत्यन्त कम है। तीनों अपीलार्थीगण के मृतक के सहयोग, लाड प्यार एवं सेवा संरक्षण से वंचित होने, अन्तिम संस्कार एवं सम्पदा हानि आदि के निमित्त उचित क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाना अपेक्षित है और ऐसा किये जाने पर यही स्थिति समक्ष आती है कि न्यायाधिकरण द्वारा कुल मिलाकर जो 14,93,700/- रूपये की राशि अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्तिस्वरूप दिलायी गयी है, वह न्यायोचित है और इस कारण दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि में हस्तक्षेप किया जाना उचित, वांछित एवं आवश्यक नहीं है।

13. ऐसी स्थिति में ऊपर किये गये विस्तृत विवेचन के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि विद्वान् न्यायाधिकरण द्वारा दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि की गणना का आधार भले ही कुछ त्रुटिपूर्ण हो किन्तु समग्र रूप से निर्धारित , आंकलित एवं दिलायी गयी कुल क्षतिपूर्ति की राशि 14,93,700/-उचित एवं न्यायसम्मत है जिसमें वृद्धि किये जाने या कमी किये जाने का कोई भी यथोचित आधार नहीं है। फलस्वरूप मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 21.06.2003 के द्वारा पारित पंचाट की पुष्टि करते हुए अपीलार्थीगण दावेदार एवं बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उक्त अपीलें अस्वीकृत की जाती हैं।

(**न्या० एस एस कोठारी**)

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."

अनिलशर्मा/ PS